भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2020

उत्तर देने की तारीख : 28.07.2022

बिहार में एमएसएमई की स्थापना

2020. श्री चन्देश्वर प्रसाद:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप से बिहार में मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) स्थापित किए गए हैं;

(ख) : यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप से बिहार में कितनी इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(ग) : उक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उपरोक्त इकाइयों द्वारा किए गए व्यवसाय का कुल मूल्य कितना रहा है; और

(घ) : केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य सरकार को एमएसएमई की स्थापना के लिए जारी की गई राजसहायता की राशि कितनी है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग) : प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का कार्यान्वयन वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा किया जाता है। पीएमएमवाई के तहत वैयक्तिक तौर पर व्यावसायिक गतिविधियों की स्थापना अथवा उन्हें विस्तार देने के लिए 10 लाख रुपए तक का कोलेट्रल मुक्त ऋण दिया जाता है। डीएफएस के रिपोर्ट के अनुसार, बिहार राज्य में पीएमएमवाई के तहत ऋण प्रदत खाते, संस्वीकृत राशि और संवितरित राशि का विवरण निम्नलिखित है:-

राज्य	2019-20			2020-21			2021-22		
	ऋण प्रदत खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	संवितरित राशि (करोड़ रु. में)	ऋण प्रदत खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	संवितरित राशि (करोड़ रु. में)	ऋण प्रदत खातों की संख्या	संस्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)	संवितरित राशि (करोड़ रु. में)
बिहार	67,12,494	27,435.78	26,340.31	53,06,694	25,589.31	24,019.78	66,78,155	32,096.95	30,725.07

(घ) : एमएसएमई मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं (सीएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं के तहत निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार आबंटन नहीं किया जाता है।

****